



उत्तर प्रदेश

DESH



photo attached
+
Substrate
Roh. Samantana (Meerut)

. 1 .



विक्रय पत्र



- > विक्रय मूल्य 10,52,180/- रुपये
- > भूमि कम्पनी द्वारा कय की जा रही है। अतः जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उनके द्वारा सफिल रेट सूची में निर्धारित अन्य प्रयोजन की दर 50,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
- > कुल देय स्टाम्प अकन 1,05,300/- रुपये

विक्रय पत्र ओर से श्रीमती मूर्ति पत्नी श्री जल सिंह (पुत्री मलखान सिंह) निवासी ग्राम नटौर तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, व श्री सत्यवीर सिंह व जसवीर सिंह उर्फ जगवीर सिंह व सुभाष पुत्रगण श्री दयाराम निवासीगण ग्राम

सत्यवीर सिंह व जसवीर सिंह सुभाष



का. सं. 6
का. सं. 6
को. सं. 6

1-208 2500
M/S Anshu Hou

WIND CONSTRUCTIONS LTD. 15 U.G.F. INDRAKUMAR
BUILDING 21 BANGAL KHAMBA ROAD NEW DELHI.
01 THROUGH AUTHORIZED PERSONS
DO NOT SIGN. C.B. SHARMA & SONS
MAYING AND CONSTRUCTION LTD. —

2010.5.2.100

वीर गीत 500: 20: 500: Do

21/7/2020

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
दि. २५

આચાર્યશ્રીના આશ્રિત સ્વરૂપે આજીવન સુખ-સાધના કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

10/10/10



होना चाहिये कि वह वृत्ति के अनुसार हो

कुल मुख्य की प्राप्ति को जितने से मु. 152/100-60

महोदय

५. दवाकर चिन्ता ————— हो सुखी हो ३०

23/4 - 1/5/18 (संज्ञा)
प्राप्तः 1/5/18

— *Et*

पुस्तक संख्या

मिवासी श्री ॥ श्री गुरुदेव नमः ॥
श्री ॥ श्री गुरुदेव नमः ॥

पुनः प्रमाणित
दिनांक २०/१२/७७

Handwritten text: Handwritten text



London

[Faint handwritten text, possibly a signature or date, is visible at the bottom of the page.]

पिम्पु अंगुल कानि... देवने क
मल प्रवर्ति... पुत्रक
मिपु मय दे



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 2 .



जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ—प्रथम पक्ष
(विक्रेतागण)

एवं

मै० अंसल हाकसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, 15-यू.जी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड,
नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी०बी० शर्मा निवासी
केयरआफ मैसर्स अंसल हाकसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, 15-यू.जी.एफ.,
21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली -द्वितीय पक्ष (क्रेता)

जो कि संक्रमणीय भूमिधरी भूमि खाता संख्या 00122 के खसरा नम्बर 1686 मि०,
रकबा 0.0510 हे० शून्य दशमलव शून्य पांच एक शून्य हैक्टेयर लगान 2.20
रुपये सालाना स्थित ग्राम जाटौली परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ
के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर
है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेतागण की ओर से आज की तिथि तक
प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उन्मुक्त है तथा वैधानिक नुटियों एवं
दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेतागण को अपनी उपरोक्त भूमि
को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त

सहचरित सत्यनंद लाल जयसवाल सुभाष

क्र. 7 1-108 2500
शानि 6

महाराष्ट्र
सरकार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



. 3 .

हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 10,52,180/- रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को

मि. क. प्रो. स. व. के. के.

अ. र. स. के. सुमाष



8 1-2-08 75000
6

[Signature]



Photo
T. Me, Jain
Advocate
Teh. Sardhana Meerut



Photo
T. Me, Jain
Advocate
Teh. Sardhana Meerut



Photo
T. Me, Jain
Advocate
Teh. Sardhana Meerut



Photo
T. Me, Jain
Advocate
Teh. Sardhana Meerut





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 10,52,180/- दस लाख बावन हजार एक सौ अस्सी रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यूजी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी केयरआफ मैसर्स अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यूजी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है

सि.के.भोसले सत्यमेव जयते जयनकार सुभाष

9 1-2-08 7560
6
मामि
मामि
मामि



a



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



. 5 .

तथा क्रेता भी विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेतागण तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल

दि. १०/११/८८ स्वामीपक्ष के ज. २२/११/८८ सुभाष